62

कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार
जनपद हरिद्वार

पत्रांक 580/DLRC   दिनांक 18/06/2022

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 18/06/2022 को जिलाधिकारी, हरिद्वार की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019–20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग (राज्य मार्ग सं0 26) के कि0मी0 1 से 19 तक पेव्ड शोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण के कार्य का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु 7.32 है0 भूमि वन विभाग से राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति–हरिद्वार द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मिति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि उक्त 7.32 है0 भूमि जो कि संरक्षित वन भूमि है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार	**प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार**	**जिलाधिकारी, हरिद्वार**
जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास भवन रोशनाबाद (हरिद्वार)	प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार	District Magistrate Haridwar

FORM-I

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector

No. ....580/ D.L.A.C. Dated 18/06/ 2022

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), government of India's letter No. 11-9/98-FC(pl) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and Other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) act, 2006('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it certified that 7.32 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Public Work Department Uttarakhand for Road Construction in Haridwar district falls within jurisdiction of Roorkee & Laksar Tehsil.

It is further certificated that:

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 7.32 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.

(b) The Division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

(VINAY SHANKER PANDEY)

(I.A.S)

District Magistrate

Haridwar

65

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT – HARIDWAR (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Haridwar District – Haridwar constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinay Shankar Pandey, I.A.S. District Magistrate of Dated 18/06/22 at 11 AM at Haridwar in which the application claiming rights in Mail area measuring 7.32 Hect for the Construction of Roorkee-Laksar-Balawali Motor Road under N.H. Division, P.W.D of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub Division level Committee of Roorkee/Laksar were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After Scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection/claims were found to have been made & hence District level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

District Magistrate
District level Committee

District Magistrate
Haridwar

66

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019–20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की–लक्सर–वालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेव्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी ~~हरिद्वार~~ रुड़की (हरिद्वार)

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड स्तरीय समिति, ~~हरिद्वार~~ रुड़की (हरिद्वार)

उपखण्ड हरिद्वार परिक्षेत्र के रूड़की–लक्सर–वालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेव्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु संरक्षित वन भूमि 7.32 है0 का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किए जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील ~~हरिद्वार~~ रुड़की) की दिनांक 21.02.2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अंशुल सिंह (I.A.S.) उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मा0 सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है । इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है।

1. – राजस्व उप निरीक्षक – [signature] 21.2.2022 (हरवेन्दर सिंह, राजस्व उप निरीक्षक)
2. – तहसीलदार – [signature] तहसीलदार रुड़की
3. – समाज कल्याण अधिकारी – Sandhya 12/4/22 संध्या, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, विकास खण्ड लक्सर, हरिद्वार
4. – उप प्रभागीय वनाधिकारी –

[signature]
ज्वाईंट मजिस्ट्रेट
रुड़की

(57)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019–20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी हरिद्वार तहसील-लक्सर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड स्तरीय समिति, हरिद्वार तहसील-लक्सर

उपखण्ड हरिद्वार परिक्षेत्र के रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु संरक्षित वन भूमि 7.32 है0 का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किए जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील ~~हरिद्वार~~ लक्सर) की दिनांक 08/4/2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री गौरव गुप्ता उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मा0 सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है ।

इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है।

1. रा0उ0नि0 [signature] 22/2/22 सुनील कुमार रा0उ0नि0
2. [signature] क्षेत्र
3.
4.

[signature] 8.4.2022

उपजिलाधिकारी

लक्सर

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019–20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेव्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ....लण्ढौरा

तहसील हरिद्वार जिला हरिद्वार

अनापत्ति प्रमाण पत्र

रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग का सुधारीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस क्षेत्र में अनुसुचित जनजाति का कोई व्यक्ति प्रभावित नही हो रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून	सहायक अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून	अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून

68

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019–20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी हरिद्वार

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड स्तरीय समिति, हरिद्वार

रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग का सुधारीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस क्षेत्र में अनुसुचित जनजाति का कोई व्यक्ति प्रभावित नही हो रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून	सहायक अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून	अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून